<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं0 प्रथम,मथुरा</u>
सत्र विचारण सं0–776 / 2017

राज्य बनाम मंगल सिंह आदि

अन्तर्गत धारा–392, 411 व 506 भा0दं0सं0
अपराध सं0–549 / 2017,
थाना–वृन्दावन, जिला–मथुरा

<u>आरोप</u>

मैं अमरनाथ सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं0 प्रथम, मथुरा आप अभियुक्तगण मंगल सिंह उर्फ किशोर, लटूरा एवं श्रीमती लीला देवी को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ–

<u>1–</u> यह कि दिनांक 17.06.2017 को समय करीब 22:00 बजे, अन्तर्गत क्षेत्राधिकार थाना–वृन्दावन, जिला–मथुरा, सौ फुटा पुल के पास आपने वादी मनीराम से उसकी जेब से तमन्चा के बल पर रुपए 1,00,000 / –, जिन्हें वह अपने गांव के अखै सिंह से उधार लाया था, लूटकर ले गये। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया, जो भा0दं0सं0 की **धारा–392** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

<u>2–</u> यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान से अभियोगी से लूटी गयी सम्पत्ति में से दिनांक 18.06.2017 को समय करीब 19:00 बजे, अन्तर्गत क्षेत्राधिकार, थाना–वृन्दावन, जिला–मथुरा, स्थान गोल चक्कर से गोपालगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस पार्टी द्वारा आपकी गिरफ्तारी के समय आपमें से मंगल सिंह उर्फ किशोर के कब्जे से 28 हजार रु0, लटूरा के कब्जे से 32 हजार रु0 एवं श्रीमती लीला देवी के कब्जे से 30 हजार रु0 बरामद किये गए, जो कि अभियोगी से लूटे गए रुपयों की धनराशि थी, जिसे आप चुराई हुयी सम्पत्ति जानते हुये बेईमानी से प्राप्त करके अपने पास रखे हुए थे। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया, जो भा0दं0सं0 की **धारा–411** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

<u>3–</u> यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने वादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया, जो भा0दं0सं0 की **धारा–506** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एत्तद्वारा निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के अधीन आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक–07.02.2018

(अमरनाथ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–01, मथुरा

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांक–07.02.2018

(अमरनाथ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–01, मथुरा

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं0 प्रथम,मथुरा</u>

सत्र विचारण सं0–776 / 2017

राज्य बनाम मंगल सिंह आदि

<u>07.02.2018</u>

पत्रावली पेश की गयी। पुकार पर अभियुक्तगण मंगल सिंह उर्फ किशोर, लटूरा एवं श्रीमती लीला देवी न्यायालय में उपस्थित हुए। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण को आरोप पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

विद्वान अभियोजक द्वारा अपने मामले का कथन, अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गये आरोप का वर्णन करते हुए और यह बताते हुए कि वह अभियुक्तगण के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करता है, आरम्भ किया गया। मामले के अभिलेख एवं उसके साथ दिये गये दस्तावेजों पर विचार करने एवं इस निमित्त अभियुक्तगण व अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् मेरे विचार से अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार होना लगता है तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध ऐसी उपधारणा करने का प्रथमदृष्टया आधार लगता है कि अभियुक्तगण ने उक्त अपराध कारित किया है। तदनुसार अभियुक्तगण मंगल सिंह उर्फ किशोर, लटूरा एवं श्रीमती लीला देवी के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा **392, 411 व 506** भा0दं0सं0 विरचित किये जाना न्यायोचित लगता है।

तदनुसार उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त आरोप विरचित किये गए। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाए गए। अभियुक्तगण ने आरोपों से मना किया तथा घटना का विचारण चाहा।

पत्रावली, वास्ते साक्ष्य दिनांक 08.03.2018 को पेश हो। अभियोजन पक्ष, जिन भी साक्षी को, न्यायालय के माध्यम से आहूत करना चाहे, उनकी सूची नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

दिनांक–07.02.2018

(अमरनाथ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–01, मथुरा